

10.10.2020

The first part of the paper is very easy and
 contains many questions which are very easy to
 solve. The second part is a bit more difficult
 and contains some questions which are not so
 easy to solve. The third part is a bit more
 difficult and contains some questions which are
 not so easy to solve. The fourth part is a bit
 more difficult and contains some questions which
 are not so easy to solve.

The first part of the paper is very easy and
 contains many questions which are very easy to
 solve. The second part is a bit more difficult
 and contains some questions which are not so
 easy to solve. The third part is a bit more
 difficult and contains some questions which are
 not so easy to solve. The fourth part is a bit
 more difficult and contains some questions which
 are not so easy to solve.

The first part of the paper is very easy and
 contains many questions which are very easy to
 solve. The second part is a bit more difficult
 and contains some questions which are not so
 easy to solve. The third part is a bit more
 difficult and contains some questions which are
 not so easy to solve. The fourth part is a bit
 more difficult and contains some questions which
 are not so easy to solve.

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 306/2024
दायर दिनांक :- 22.11.2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/451
निर्णय दिनांक :- 10.05.2025

1. छोटसिंह पुत्र उमेदसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी
2. नरपतसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी
3. भूरसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी
4. लक्ष्मीकंवर पुत्री उमेदसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी
5. संतोषकंवर पत्नी उमेदसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी
6. सुमेरसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी
7. स्वरूपसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी

-प्रार्थी

बनाम

1. प्रेमसिंह पुत्र सांवतसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी
2. हरिसिंह पुत्र सांवतसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी
3. प्रभुसिंह पुत्र मेगसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी
4. मूलसिंह पुत्र मेगसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी
5. रूपकंवर पत्नी मेगसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी
6. सुमेरसिंह पुत्र मेगसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी
7. रूपसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी
8. सोहनसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी
9. ओमीकंवर पुत्री पेंपसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी
10. गुलाबसिंह पुत्र पेंपसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी
11. छगनकंवर पुत्री पेंपसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी
12. देवीसिंह पुत्र पेंपसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी
13. धापुकंवर पुत्री पेंपसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी
14. प्रेमकंवर पुत्री पेंपसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी
15. पहाडसिंह पुत्र पेंपसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी
16. मनोहरकंवर पुत्री पेंपसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी
17. राणुसिंह पुत्र पेंपसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी
18. सवाईसिंह पुत्र पेंपसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी
19. हवाकंवर पुत्री पेंपसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी
20. कालूसिंह पुत्र गायडसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी

10/5/25
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

21. गुड्डीकंवर पुत्री गायडसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी
22. भवानीसिंह पुत्र गायडसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी
23. रवीन्द्रसिंह पुत्र गायडसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी
24. शायरकंवर पत्नी गायडसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी
25. समद्रसिंह पुत्र गायडसिंह जाति राजपूत नि. खारियाकानसिंह तह. घंटियाली जिला फलोदी
26. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित :-1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काशत की भूमि खेत खसरा नम्बर 72 रकबा 9.7367 हैकटेयर व खसरा नम्बर 92 रकबा 4.1197 ग्राम खारियाकानसिंह पटवार हल्का खाजूसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी (राज.) की सरहद में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू-नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार घंटियाली द्वारा दिनांक 11.12.2023 को जारी आदेश क्र संख्या 277 की पालना में दिनांक 03.06.2024 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थीगण तथा पड़ोसी खातेदारान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिह्न कायम किये गये। दिनांक 03.06.2024 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हों (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबन्दी इत्यादि करना शुरू करने पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 25 द्वारा व्यवधान पैदाकर प्रार्थीगण को तारबन्दी नहीं करने दे रहे हैं। प्रार्थीगण की उक्त भूमि की बाड़, तारबन्दी नहीं हो पाने से प्रार्थीगण अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबन्दी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थीगण को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 03.06.2024 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिंगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 26 पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 19 व 21 ता 25 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक

10/5/24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 20 की और से अधिवक्ता राणीदानसिंह ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम खारियाकानसिंह पटवार हल्का खाजूसर तहसील घंटियाली में खेत खसरा नम्बर 72 रकबा 9.7367 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 92 रकबा 4.1197 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का अपने अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि पैमाईश फर्द दिनांक 06.06.2024 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम खारियाकानसिंह पटवार हल्का खाजूसर तहसील घंटियाली में खेत खसरा नम्बर 72 रकबा 9.7367 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 92 रकबा 4.1197 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थीगण पैमाईश फर्द दिनांक 03.06.2024 अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम खारियाकानसिंह पटवार हल्का खाजूसर तहसील घंटियाली में खेत खसरा नम्बर 72 रकबा 9.7367 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 92 रकबा 4.1197 हैक्टेयर भूमि की पत्थर गढी मौका फर्द दिनांक 03.06.2024 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार घंटियाली उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)